संख्याः 4058 /62-2-2012-2/2(10)/2012

प्रेषक,

संजीव दूबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 14 दिसम्बर 2012

विषय - निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के एल्यूवियल एवं कठिन स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में डा0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप नामक नई योजना के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में शासनादेश संख्या- 3938 /62-2-2012-2/2(10)/2012 दिनांक 20 नवम्बर 2012 के प्रस्तर-5 में दिये गये निर्देशों के कम में प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समूह के चयन, गठन, पात्रता, नलकूप निर्माण की प्रकिया, वार्षिक लक्ष्य, डिजाईन एण्ड ड्राइंग, दर निर्धारण, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण इत्यादि के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1- योजना का कार्यक्षेत्र एवं अन्य प्रतिबन्ध

(1) योजना प्रदेश के एल्यूवियल क्षेत्र में कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले भागों में संचालित की जायेगी जहाँ पर बोरिंग की गहराई 30 मीटर से अधिक आती है।

(2) यह योजना अतिदोहित व क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में चलाई जायेगी।

(3) प्रस्तावित नलकूप के 300 मीटर क्षेत्र में कोई भी अन्य गहरा अथवा मध्यम गहरा नलकूप नहीं होना चाहिए तथा प्रस्तावित नलकूप का कमाण्ड न्यूनतम 20 हेक्टेयर का होगा, जिसमें समूह के कृषकों की भूमि के अतिरिक्त आस-पड़ोस के कृषकों की भूमि, जिसकी सिंचाई समूह की समिति द्वारा किराये पर उपलब्ध करायी जायेगी, सम्मिलित होगी।

2- समूह की पात्रता, चयन, गठन एवं दायित्व

(1) जिन क्षेत्रों में यह योजना चलाई जानी है उसमें इसका प्रचार व प्रसार क्षेत्र समिति की बैठक, जिला पंचायत की बैठक तथा स्थानीय समाचार पत्रों के

माध्यम से किया जायेगा तथा कृषकों के समूहों के प्रार्थना पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) समूहों की पात्रता का परीक्षण योजना के नार्मस् के आधार पर विकास खण्ड के अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा ग्राम पंचायत की जल संसाधन समिति के सहयोग से कराया जायेगा, जिसको खण्ड विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को अग्रसारित करेंगे। समूह की रूपरेखा एवं प्रारम्भिक गठन की कार्यवाही प्रस्ताव के साथ भेजी जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सामुदायिक नलकूप का स्थल कहाँ पर होगा। उस नलकूप हेतु आवश्यक भूमि जिस पर वह नलकूप प्रस्तावित किया जायेगा जोकि लगभग 20 वर्गमीटर होगी, को सम्बन्धित कृषक द्वारा अनुबन्ध के माध्यम से लाभार्थियों के समूह के उपयोग हेतु समूह को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। अनुबन्ध में यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि बोरिंग असफल होने अथवा नलकूप के स्थाई रूप से खराब होने की दशा में उक्त अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा। नलकूप निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त नलकूप का स्वामित्व समूह का होगा।

(3) नलकूप के स्थल का निरीक्षण सहायक अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तथा नलकूप का स्थल एवं समूह योजना के मानकों के अनुसार होने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जायेगा। इस रजिस्ट्रेशन के साथ ही समूह का गठन, नलकूप स्थल की भूमि को दानपत्र एवं उसके रख-रखाव की प्रकिया का विवरण सभी लाभार्थियों के हस्ताक्षर से संयुक्त रूप से दिया जायेगा तथा लाभार्थियों की समिति द्वारा अध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव किया जायेगा, जिनका बैंक में खाता खोला जायेगा तथा इसी खाते में नलकूप शुरू होने के उपरान्त कृषकों की भूमि की सिंचाई से होने वाली आय जमा की जायेगी तथा रख-रखाव एवं बिजली आदि के बिल का भुगतान किया जायेगा। समिति का सचिव इन अभिलेखों के रख-रखाव हेतु जिम्मेदार होगा।

(4) सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा समूह का रजिस्ट्रेशन होने पर उक्त स्थल का जियोफिजिकल सर्वेक्षण, भूगर्भ जल विभाग, रिमोट सेंसिंग सेन्टर अथवा अधिकृत प्राइवेट एजेंसी से कराया जायेगा तथा उस सर्वेक्षण के आधार पर नलकूप का स्टीमेट अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रेषित किया जायेगा। स्टीमेट स्वीकृति के दिनांक से ही समूह की वरीयता निर्धारित की जायेगी तथा प्रथम आवत, प्रथम पावत के सिद्धान्त पर कार्य कराया जायेगा।

(5) अधिशासी अभियन्ता द्वारा समूह के पात्र होने व यह सुनिश्चित करने के बाद कि समूह इस नलकूप का रख-रखाव करने में समर्थ होगा, नलकूप का स्टीमेट शासन द्वारा उपलब्ध अनुदान के उपरान्त स्वीकृत करेंगे। स्टीमेट स्वीकृत होने व धन की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर नलकूप की बोरिंग का कार्य

गहरे नलकूप की योजना की भाँति पूर्ण किया जायेगा तथा एसम्बेली की लोअरिंग सहायक अभियन्ता के समक्ष की जायेगी तथा बोरिंग के विकसन का कार्य अवर अभियन्ता के समक्ष करके बोरिंग का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

(6) बोरिंग का डिस्चार्ज कम से कम 10 हजार गैलन प्रति घण्टा होना आवश्यक है। इसके लिए पाइप की एसेम्बली की लोअरिंग करने से पूर्व यह देख लिया जायेगा कि कम से कम 20 मीटर का भूजल ग्राही स्ट्रेटा उपलब्ध हो। अगर समूह उपरोक्त से कम डिस्चार्ज अथवा कम स्ट्रेटा पर भी सहमत हो तो उसकी लोअरिंग की जा सकती है। उद्देश्य यह है कि लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई नलकूप से हो सके तथा समूह को नलकूप के रख-रखाव हेतु समुचित धन उपलब्ध हो सके जिससे कि योजना भविष्य में सफलता से कार्य कर सके।

3- <u>योजना की वित्तीय व्यवस्था</u>

नलकूप के निर्माण पर अनुदान उक्त वर्णित शासनोदश दिनांक 20-11-2012 के अनुसार दिया जायेगा, शेष धनराशि अगर आवश्यक हो तो समूह द्वारा वहन की जायेगी, जिसे समूह के सदस्य जोत के अनुपात में वहन करेंगे।

4- <u>असफल नलकूप</u>

बोरिंग करने के समय आवश्यक डिस्चार्ज हेतु उपरोक्त स्ट्रेटा नहीं मिलने पर बोरिंग असफल घोषित की जायेगी जिसका अधिकार स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता को होगा।

5- <u>नलकूप निर्माण की प्रकिया व अनुदान की स्वीकृति</u>

(1) समिति का गठन होने के उपरान्त तथा शासन से अनुदान की धनराशि उपलब्ध होने पर जियोफिजिकल सर्वे हेतु आवश्यक धन सर्वेक्षण एजेंसी को दिया जायेगा।

(2) सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी जिसमें अनुमानित स्ट्रेटा व गहराई, अनुमानित डिस्चार्ज तथा जल की गुणवत्ता (खारी पानी आदि) के सम्बन्ध में रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। एजेन्सी द्वारा स्थल की लोकेशन भी अपनी रिपोर्ट में इंगित की जायेगी।

(3) सर्वेक्षण एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नलकूप की अनुमानित लागत का स्टीमेट सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रेषित किया जायेगा, जोकि शासन द्वारा अनुदान उपलब्ध होने पर इसे स्वीकृत करेंगे तथा स्टीमेट स्वीकृत होने की तिथि से ही समूह की बोरिंग की प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी तथा प्रथम आवत, प्रथम पावत के आधार पर अनुदान हेतु धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) बोरिंग का कार्य सर्वप्रथम विभागीय रिग मशीनों से कराया जायेगा। अगर विभागीय रिग मशीन उपलब्ध नही है तो राजकीय विभागों/ निगमों की मशीनों

से प्रयास किया जायेगा अन्यथा अधीक्षण अभियन्ता की अनुमति से व्यापक प्रचार/प्रसार कर निजी एजेंसी का रजिस्ट्रेशन एवं उनकी दरों का निर्धारण कराया जायेगा।

(5) समूह की बोरिंग की ड्रिलिंग कराने पर लगभग 20 मीटर का भूजल ग्राही स्ट्रेटा उपलब्ध होना चाहिये जिससे समुचित मात्रा में जल उपलब्ध हो सके। अगर इससे कम स्ट्रेटा उपलब्ध है तथा समूह कम डिस्चार्ज के नलकूप हेतु अपनी सहमति देते हैं तो बोरिंग में एसेम्बली की लोअरिंग की जा सकती है अन्यथा बोरिंग असफल घोषित कर दी जायेगी। बोरिंग में पाइप एवं स्ट्रेनर की लोअरिंग का कार्य सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में कराया जायेगा तथा लोअरिंग के उपरान्त उसका विकसन कर डिस्चार्ज का मापन अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तथा डिस्चार्ज के मापन के उपरान्त बोरिंग का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा जिस पर अवर अभियन्ता, सम्बन्धित ड्रिलर एवं समूह के सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

(6) बोरिंग/ड्रिलिंग का कार्य विभाग द्वारा कराया जायेगा। बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त उस पर पम्पसेट स्थापना, पम्पहाउस का निर्माण, विद्युतीकरण तथा जल वितरण प्रणाली के निर्माण का कार्य भी लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराया जायेगा। विद्युत कनेक्शन समिति के नाम होगा। सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषक बाहुल्य समूहों के मामलों में नलकूप निर्माण हेतु समूह का अंश समूह द्वारा विभाग में जमा कराया जायेगा।

(7) उक्त नलकूपों के निर्माण में आई0एस0आई0 चिन्हित (आई.एस. कोड-12818/2010, यथा संशोधित) पी0वी0सी0 पाइप एवं रिब्डस्कीन पाइप का प्रयोग किया जायेगा तथा सबमर्सिबल पम्प भी आई0एस0आई0 चिन्हित ही लिया जायेगा। जल वितरण प्रणाली हेतु आई0एस0आई0 चिन्हित (आई.एस. कोड-141.51 पार्ट-2/2008, यथासंशोधित) एच0डी0पी0ई0 पाइप (सहज संयोजी पालीएथिलीन पाइप) एवं फिटिंग का प्रयोग किया जायेगा।

(8) पी0वी0सी0 पाइप एवं एच0डी0पी0ई0 (सहज संयोजी पालीएथिलीन पाइप) मय फिटिंग के क्रय की व्यवस्था मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा स्टोर परचेज नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। शेष आवश्यक सामग्री की व्यवस्था अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार की जायेगी। पाइप क्रय के समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सामूहिक नलकूप योजनाओं के अन्तर्गत गतवर्ष के जो भी अवशेष पाइप हों, सर्वप्रथम उपयोग कर लिया जाय। बोरिंग में प्रयुक्त एसेम्बली का नामिनल साइज 200mm x 150mm होगा।

(9) अगर शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं होता है तो शेष धन की समूह की समिति द्वारा व्यवस्था की जायेगी।

(10) नलकूप पूर्ण होने के बाद उसे लाभार्थियों की समिति को हस्तान्तरित किया जायेगा। हस्तान्तरण प्रमाण पत्र पर पूर्ण व्यय, डिस्चार्ज, बोरिंग व पम्प का विवरण, मेक, क्रमांक आदि होगा तथा इस प्रमाण पत्र पर समिति के सचिव, अध्यक्ष के नलकूप चालू हालत में प्राप्त करने के साथ ही ग्राम प्रधान व जल संसाधन समिति के एक सदस्य के हस्ताक्षर गवाह के रूप में होंगे। लघु सिंचाई विभाग की ओर से हस्तान्तरण लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। इस हस्तान्तरण प्रमाण पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर होंगे।

6- <u>कार्यदायी संस्था</u>
योजना का कार्यान्वयन लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।

7- <u>वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण</u>
प्रत्येक वर्ष योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण पृथक से मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा। उपलब्ध कार्यभार व क्षेत्र की आवश्यकतानुसार जनपदों के लिये निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से कर सकेंगे।

8- <u>ड्राइंग, डिजाइन, मानक एवं दर का निर्धारण</u>
योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों तथा अन्य कार्यों की डिजाइन एवं ड्राइंग का निर्धारण एवं स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा प्रदान की जायेगी तथा विभिन्न कार्यों हेतु दरों का निर्धारण के लिये अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तरदायी होंगे। योजना के अन्तर्गत समस्त कार्य अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित विशिष्टयों, मानकों एवं दरों के अनुसार ही किये जायेंगे।

9- <u>अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण</u>

(1) यह एक महत्वपूर्ण योजना है तथा विभिन्न स्तरों पर इसकी गुणवत्ता की चेकिंग किया जाना आवश्यक है। इस योजना के सघन अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिये जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता, खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियन्ता एवं वृत्त स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा वह इस योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे। क्षेत्र में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

(2) योजना में निर्मित कार्यों का शत-प्रतिशत सत्यापन अवर अभियन्ता द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत सत्यापन सहायक अभियन्ता द्वारा, 30 प्रतिशत अधिशासी अभियन्ता द्वारा तथा 20 प्रतिशत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उच्चत्तर अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी के किये गये सत्यापन से अतिरिक्त कार्यों का सत्यापन करें।

(3) उपरोक्त योजना कों प्रदेश स्तर पर कियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई का होगा।

10- योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रार्थना पत्र/अनुबन्ध एवं लेखा जोखा रखने की प्रकिया व प्रगति सम्बन्धी प्रारूप का निर्धारण मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई अपने स्तर से निर्धारित कर क्षेत्रीय अधिकारियों को समुचित निर्देश के साथ निर्गत करेंगे।

11- शासनादेश संख्या-3938/62-2-2012-2/2(10)/2012दिनांक 20.11.2012 के प्राविधान यथावत रहेगें।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

भवदीय,

(संजीव दूबे)
प्रमुख सचिव

संख्या- 4058 (1)/62-2-2012 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधकारी (विकास/ जिला विकास अधिकारी) उ0प्र0।
7- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- राज्य योजना आयोग, अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2/3।
11- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2।
12- निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना मुख्य मंत्रीजी, उ0प्र0 सरकार।
13- विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, उ0प्र0, लखनऊ।
14- निदेशक,लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग बी0के0टी0, लखनऊ।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।